

तारीख
हुवम

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज

28/10/24

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लेकर पत्रावली पूर्ण आदेशिका अनुसार विराम
की बात हो।

28/11/24

28/11/24

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लेकर पत्रावली पूर्ण आदेशिका अनुसार विराम
की बात हो।

17/12/24

17/12/24

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लेकर पत्रावली पूर्ण आदेशिका अनुसार विराम
की बात हो।

17/12/25

17/12/25

पत्रावली पेश हुई।
वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण
इसका लेकर पत्रावली पूर्ण आदेशिका अनुसार विराम
की बात हो।

18/12/25

18/2/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित
वकील वादी का नामील से शेष प्रतिवादी
जानों की तलबी हेतु नोटिस पेश करने
हेतु आदेशित किया गया था परन्तु आज
उत्तरों को वकील वादी न तो स्वयं
अस्थित आए व न ही उनकी ओर से
कोई ब्रीफ होल्डर उपस्थित हुए व न ही
वादी स्वयं उपस्थित आए। पत्रावली विगत
7 वर्षों से वाद के initial stages पर
लोकित है वावजूद भी वादी द्वारा कोई
प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा
आप न्यायालय द्वारा भी अधिवक्ता
मय वादी अनुपस्थित रहे हैं अतः पत्रावली

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

इली क्तर पर वादी अधिवक्ता मय
वादी के अनुपस्थित रहने से वादी का
वाद अंतर्गत चारा 92A व 188 राजस्थान
कार्यकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत
अपना पेंचवी में खारिज किया जाता है।
फलावती फलतः शुमार होकर 1262
से कम होकर शामिल अफतर हो



सहायक क्लर्क
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर